(5)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1440—पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 16—4—2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हातोद जिला इंदौर प्रकरण कमांक 08/अपील/2013—14

---

महेश कुमार पिता रामनारायण अग्निहोत्री,
निवासी 555, कालानी नगर, इन्दौर ...........आवेदक

**विरूद्ध**

लक्ष्मण सिंह पिता कुंवरसिंह राठौर,
वर्तमान निवासी 10/2, तम्बोली बाखल,
मल्हारगंज, इंदौर .........अनावेदक

---

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री नितिन पंकज, अभिभाषक, अनावेदक

---

**:: आ दे श ::**

**( पारित दिनांक 23 फरवरी, 2015)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, हातोद जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश 16—4—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हातोद के समक्ष नामांतरण पंजी कमांक 69 पर पारित आदेश वर्ष 2000—01 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 28—2—2014 को लगभग 13 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अनावेदक द्वारा अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । चूँकि नामांतरण पंजी